

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021
 मूल वाद में डिक्री
 (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राजाखेड़ा
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) सदापुर

उपस्थित अधिकारी :- देवी सिंह (आर.ए.एस.)

उपवान रामजीवन बनाम रामस्वरूप

दावा बाबत दावा 53, 1188 RTA

मुकदमा नम्बर - 47/20

दिनांक 01-12-2021

1. मामला प्रसार, सीमा रक्षण, शिवराज, अशोक कुरुआ, पप्पू बनवारी, रामधराल, विमल, राजगोपाल, रामशंकर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01-12-2021 को देवी सिंह (आर.एस.) (पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -
 मुकदमा क्र. 140 रकवा 0.3730 दिशा पूर्व, ख.न. 140/2 रकवा राजगोपाल 50 आशाराज्य ख.न. 140/2 रकवा 0.1244 हे. दिशा मध्यम रामस्वरूप 50 रोशन सिंह के हिल्ले में खेती।
 ख.न. 140/3 रकवा 0.1243 हे. दिशा मध्यम रामजीवन 50 रोशन सिंह के हिल्ले में खेती। ख.न. 140/4 रकवा 0.1244 हे. दिशा पश्चिम शिवनारायण 50 रोशन सिंह के हिल्ले में खेती। ख.न. 58 रकवा 1.1382 हे., ख.न. 14 रकवा 0.5564 हे., ख.न. 141 रकवा 0.3288 हे., ख.न. 154 रकवा 0.3162 हे., ख.न. 0321 3-तर दिशा रकवा 0.0443 हे., 32412 पूर्व दिशा रकवा 0.1138 हे., ख.न. 14912 पूर्व दिशा रकवा 0.1102 हे., ख.न. 134/2 पूर्व दिशा रकवा 0.1598 हे. रामस्वरूप पुत्र रोशन सिंह हि. 1/61 प्रेमनारायण पुत्र खेर सिंह हि. 1/12 वीरु शर्मा पत्नी रमेश कुमार हि. 1/12 मुकेश कुमार, राजेश कुमार, सु-नालाल, रामहरी पुत्र रामस्वरूप हि. 2/3 के हिल्ले में खेती। पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगा।
 यह आज तारीख 01-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी है

उपखण्ड अधिकारी
 पीठासीन अधिकारी
राजाखेड़ा (सदापुर)
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर.....

वाद के खर्च

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. प्रतिवादी पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. अर्जी के लिए स्टाम्प		नोटिस की कीमत
4. अर्जी के लिए निवेदन प्रार्थना		तल्लियों के लिए निर्वाह व्यय
5. शक्तिपत्र के लिए निवेदन व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील		
जोड़		जोड़